

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

उप सचिव
बिहार विधान परिषद्,
पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- श्री केदारनाथ पाण्डेय, मा0 स0वि0प0 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या-आर0आर0-01 के उत्तर से उद्भूत आश्वासन संख्या-02/170वाँ सत्र का कार्यान्वयन (अनुपालन) प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग:- बिहार विधान परिषद् सचिवालय का पत्रांक 1117(6) दिनांक-26.07.2012
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक-878-2 दिनांक-05.09.2014 एवं पत्रांक -664-2 दि0-04.08.2014) के अनुसार कार्यान्वयन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

“इस आश्वासन का विषयवस्तु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के जॉच के अधीन है। पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मांगे गए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन (पत्रांक- 664-2/आ0प्र0 दि0-04.08.14) इस पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही अभियोजन की स्वीकृति आदेश ज्ञापांक -968-2/विधि दि0-30.07.14 एवं 969-2/विधि दिनांक -30.07.14 की छाया प्रति भी अवलोकनार्थ संलग्न है।”

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर से उद्भूत विषयाधीन आश्वासन संख्या-02/170वाँ सत्र को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान परिषद् की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध अल्पसूचित प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोपरि।
(कुल 11 पृष्ठों में)

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3800/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-17/10/14.

प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।